फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम:– नसीराबाद

राधेश्याम बनाम कुमार जांगिड़

किस्म मुकदमा :– 88,188 रा. काश्त. अधि. 1955 प्रकरण संख्या 1/18 ~~ए.सं.~~ :-2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.1.18	अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 25.1.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद**	358-65 / 8/1/18
25/1/18	पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 26.2.18 को पेश हो। आदेशानुसार (हस्ताक्षर) रीडर	
26.2.18	पत्रावली वास्ते इन्त. तलबी दिनांक 16.4.18 को पेश हो (हस्ताक्षर)	राधेश्याम
16.4.18	पत्रावली वास्ते इन्त. तलबी दिनांक 28.5.18 को पेश हो (हस्ताक्षर) **न्याय आपके द्वार अभियान - 2018** **[illegible]** **लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ~~[illegible]~~ तिलाना**	
28.5.18	पत्रावली कैम्प कोर्ट तिलाना में पेश हुई राज. पैरवीकार ने जवाब [illegible] पेश किया है। वादी स्वयं उपस्थित।	राधेश्याम

वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा के ख. नं 6/130 (0.13), 46 (0.25), 47 (0.92) की आराजी वादी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर वादी का नाम राधेश्याम पुत्र रामप्रसाद सही रूप से दर्ज करने के बजाय वादी के पिता का नाम रामप्रसाद अंकित करने के बजाय मांगीलाल दर्ज कर दिया जबकि मांगीलाल वादी के पिता नहीं होकर दादा का नाम है अतः आराजी मुतनाजा के वादी का नाम राधेश्याम पुत्र रामप्रसाद दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया बावजूद आराजी में राधेश्याम पुत्र मांगीलाल दर्ज है। वादी उक्त इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण होने का कथन करता है किन्तु वादी ने पूर्व राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया है जिसमें उसके पिता का नाम रामप्रसाद दर्ज हो।. वादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बावजूद आराजी उसे किस प्रकार प्राप्त हुयी।

ग्राम पटवार के जवाब अनुसार आराजी मुतनाजा वर्तमान जमाबंदी में खातेदार दर्ज की जो नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 20.7.92 से राधेश्याम पुत्र मांगीलाल के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुयी उक्तानुसार स्पष्ट है कि उक्त आराजी वादी को आवंटित हुयी। वादी द्वारा आवंटन आदेश व आवेदन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के अन्य दस्तावेज पेश नही किये है। वादग्रस्त आराजी किस नाम से आवंटित हुयी यह वाद मे स्पष्ट नही है। वादी की वल्दियत पूर्व राजस्व अभिलेख मे श्री मांगीलाल ही दर्ज थी। रामेश्वर पुत्र मांगीलाल अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जिसको वादग्रस्त आराजी का आवंटन हुआ है। वादी ने उक्त वाद स्पष्ट तथ्यों के साथ व दस्तावेजो के साथ पेश नही किया है। राज. सरकार के प्रस्तुत जवाब अनुसार हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध नही होता है। अतः ग्राम मालपुरा के हाल खसरा नम्बर 6/230 (0.13), 46 (0.25) 47 (0.92) किता 3 रकबा 1.30 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। -/- पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : [illegible]	

न्याय आपके द्वार 2018

कैम्प कोर्ट :– तिलाना

डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

राधेश्याम बनाम ब्रजमोहन

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 1/2018
पेश करने की दिनांक – 3.1.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम राजपुरा के हाल खसरा नम्बर 6/230 रकबा 0.13, 46/0.25, 47/0.92 किता 3 रकबा 1.30 की आराजी पर वादी का वाद ''खारिज'' किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक--------- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 28 माह मई सन् **2018** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद